झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–28 वर्ष 2019

जगन्नाथ साहू, पे0–स्वर्गीय नारायण साहू, निवासी ग्राम–दाहुडांड़, डाकघर एवं थाना–पालकोट, जिला–गुमला

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– सुश्री अस्मिता श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री आसिफ खान, ए0पी0पी

02/ 29.01.2019 याचिकाकर्त्ता दिनांक 28.09.2018 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 82 के तहत उसके खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई है।

2. याचिकाकर्त्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि जिस आदेश द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की गई है, वह एक गुप्त आदेश है, यह मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल का खुलासा नहीं करता है।

3. संक्षेप में कहा गया है, एक अनूप जोशी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर तेलैया थाना काण्ड संख्या 72/2017 के द्वारा एक प्राथमिकी दिनांक 03.03.2017 को आई0पी0सी0 की धारा 420 के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई थी। याचिकाकर्त्ता, जिसे

आपराधिक मामले में एक अभियुक्त बनाया गया है, जिसके खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी किया गया है, ने निवेदन किया है कि इश्तेहार में दिए गए पता से यह खुलासा होता है कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्त्ता के निवास का दौरा नहीं किया है, फिर भी उसने दं0प्र0सं0 की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए एक अभियाचन बढ़ाया है यह आरोप लगाते हुए कि याचिकाकर्त्ता गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है।

4. जिस आदेश के द्वारा सी0आर0पी0सी0 की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की जाती है, उसे मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का इस्तेमाल करके करना चाहिए। सी0आर0पी0सी0 की धारा 82 के तहत प्रक्रियाओं को जांच अधिकारी द्वारा मात्र पूछने पर जारी नहीं किया जा सकता है। दिनांक 28.09.2018 के आक्षेपित आदेश के मात्र उपरी अवलोकन से विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा विवेक के उचित इस्तेमाल का खुलासा नहीं करता है।

5. उपरोक्त तथ्यों में, दिनांक 28.09.2018 के आदेश में गंभीर दुर्बलता पाते हुए इसे खारिज कर दिया गया है।

6. परिणाम में, अपराधिक एम0पी0 संख्या 28/2019 को अनुज्ञात किया जाता है।

7. आदेश की एक प्रति फैक्स के माध्यम से ट्रायल कोर्ट को प्रेषित की जाए।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)